ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना

दिशा निर्देश

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय-सूची

संक्षिप्त नामों की सूची **2**

आमुख **3**

1. प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि 5
2. पुरा योजना का मिशन और उद्देश्य 6
3. कार्यनीति 6

2. नियोजन और कार्यान्वयन

4. नियोजन 7
5 निर्धारित आधारभूत और शहरी सुविधाएं 7
6. बिजनेस मॉडल 8
7. भूमि 10
8. प्राइवेट डेवलपर का चयन 10
9. कार्यान्वयन 11
10. पुरा परियोजना चक्र का फ्लो चार्ट 11
11. परियोजना प्रबंधन और नियंत्रण 12

3. निधियों की रिलीज

12. पूंजीगत अनुदान तथा रिलीज का आकलन 13
13. निधियों की उपलब्धता 13
14. स्वतंत्र इंजीनियर पर आने वाली लागत 14

4. विविध

15. लेखा-परीक्षा 15
16. शिकायत निवारण और विवाद समाधान 15
17. निर्णय 15
18. जोखिम प्रबंधन 15

अनुबंध

I. रुचि की अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषताएं 16
II. प्रस्ताव दस्तावेज के लिए अनुरोध की मुख्य विशेषताएं 16
III. अवधारणा योजना की मुख्य विशेषताएं 18
IV. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मुख्य विशेषताएं 18
V. रिआयत तथा राज्य सहायता करार की मुख्य विशेषताएं 19

संक्षिप्त नामों की सूची

ए डी बी	-	एशियाई विकास बैंक
बी ओ टी	-	निर्माण, संचालन एवं अंतरण
सी ए	-	रिआयत करार
कैपेक्स	-	पूंजीगत व्यय
डी ओ आर डी	-	ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार
डी पी आर	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी आर डी ए	-	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
ई सी	-	अधिकार प्राप्त समिति
ई एफ सी	-	व्यय वित्त समिति
ई ओ आई	-	रूचि की अभिव्यक्ति
जी पी	-	ग्राम पंचायत
आई ई	-	स्वतंत्र अभियन्ता
एम एन आर ई जी ए	-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम ओ आर डी	-	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
एन आई आर डी	-	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
एन आर डी डब्ल्यू पी	-	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एन आर ई जी एस	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ओ एंड एम	-	संचालन एवं रखरखाव
ओपेक्स	-	संचालन संबंधी व्यय
पी ए पीस्	-	परियोजना से लाभान्वित व्यक्ति
पी पी पी	-	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पी आर आई	-	पंचायती राज संस्थान
पी एस एम सी	-	परियोजना संचालन एवं निगरानी समिति
पुरा	-	ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान
आर एफ पी	-	प्रस्ताव के लिए आवेदन
आर ओ आई	-	निवेश से आय
आर एंड आर	-	पुनर्वास एवं पुनः स्थापन
एस जी एस वाई	-	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस पी वी	-	स्पेशल परपस व्हीकल
एसएसए	-	राज्य सहायता करार
टी ए	-	तकनीकी सहायता
टी एस सी	-	संपूर्ण स्वच्छता अभियान

आमुख

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)" नामक योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का पुरा योजना को आर्थिक कार्य विभाग की सहायता तथा एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत (पंचायतों) तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी स्वरूप के अंतर्गत कार्यान्वित करने का विचार है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा आर्थिक कार्यकलापों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की परिकल्पना की गई है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार का ढांचा उपलब्ध कराने और परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं सेवाओं की सुपुर्दगी में निजी क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

इस योजना के कार्यक्षेत्र में चुनिंदा पंचायतों/पंचायतों के समूहों में निर्धारित सेवा स्तरों तक जीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करना शामिल है जो 10 वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होंगे। समुदाय-आधारित आधारभूत सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबंधन में अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र निकायों का चयन, उचित योग्यताओं एवं मूल्यांकन मानदंड पर आधारित खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चयनित निजी क्षेत्र भागीदारों को जल आपूर्ति एवं जल-निकासी, सड़कों, नालियों, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन, सड़क रोशनी तथा विद्युत वितरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और पुरा परियोजना के एक भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास कार्यकलाप निष्पादित करने होंगे। निजी क्षेत्र भागीदारों द्वारा उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, ग्रामोन्मुख पर्यटन, एकीकृत ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण-बाजार, कृषि संबंधी सेवा केन्द्र तथा गोदाम आदि जैसी राजस्व अर्जक "अतिरिक्त" सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। पुरा परियोजना में कई पंचायतों का समूह होने की स्थिति में निजी क्षेत्र भागीदार प्रत्येक पंचायत के लिए उप-परियोजनाएं जिनमें पुरा पहलू निहित हों, प्रस्तावित करेगा।

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सृजन तथा रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी एवं प्रबंधन सुविज्ञता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की निधियों का उपयोग करना, पुरा योजना का मुख्य आधार है जिसकी न केवल विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाओं के बीच तालमेल हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु परिकल्पना की गई है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के प्रबंधन हेतु एक नया मॉडल भी उपलब्ध होगा।

1 प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि

1.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से जीवन यापन के लिए आजीविका अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की कमी की वजह से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वास्तविक और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में भी काफी अंतर है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का एक वृहत मिशन शुरू करके ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने का विजन उजागर किया। गणतंत्र दिवस, 2003 के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते समय डा. कलाम ने चार प्रकार का संपर्क मुहैया कराने की बात कहीः वास्तविक संपर्क, इलैक्ट्रॉनिक संपर्क, ज्ञान संपर्क तथा ज्ञान संपर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक संपर्क। पुरा की परिकल्पना सेवा सुपुर्दगी के स्व-सतत् एवं व्यवहार्य मॉडल के रूप में की गई थी जिसका प्रबंधन स्थानीय लोगों, जन प्राधिकरणों और निजी क्षेत्रों के बीच कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाना था। सरकारी सहायता सही किस्म की प्रबंधकीय संरचना तलाशने के रूप में होगी ताकि ग्रामीण आधारभूत सुविधा का विकास एवं रख-रखाव किया जा सके, ऐसे प्रबंधकीय ढाँचों को अधिकार संपन्न बनाया जा सके और शुरूआती आर्थिक सहायता दी जा सके। बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त, 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए अपने भाषण में पुरा योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की थी।

1.2 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वासमठ (महाराष्ट्र), भरथना (उत्तर प्रदेश), गोहपुर (असम), कुजंगा (उड़ीसा), मोतीपुर (बिहार), रायदुर्ग (आंध्र प्रदेश) और शाहपुरा (राजस्थान) में सात प्रायोगिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन आई आर डी) द्वारा कराए गए इन प्रायोगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन से सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता, मुख्य आर्थिक क्रियाकलापों के साथ आधारभूत सुविधा विकास और आजीविका सृजन को बढ़ाने की जरूरत, संभावित विकास के आधार पर परियोजना स्थल के चयन की जरूरत और ग्रामीण विकास या अन्य विभागों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की जरूरत का पता चला था। एन आई आर डी द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षो, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श के दौरान प्राप्त जानकारी, तथा एशियाई विकास बैंक के तकनीकी परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर इस योजना को नए सिरे से बनाया गया है जिसका

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में कार्यान्वयन किया जाएगा।

2. पुरा योजना का मिशन और उद्देश्य

2.1 मिशन: ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिए ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के समूह में) में संभावित विकास केंद्र के चारों ओर सघन क्षेत्र का व्यापक एवं त्वरित विकास।

2.2 उद्देश्य: योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

3. कार्यनीति

3.1 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) – विशिष्ट विशेषता: पुरा के उद्देश्यों को ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के फ्रेमवर्क के तहत हासिल करने का प्रस्ताव है। पुरा की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना से निधियों का बड़ा हिस्सा लिया जाएगा तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तालमेल के जरिए अतिरिक्त सहायता जुटाई जाएगी। निजी क्षेत्र भी संचलनात्मक सुविज्ञता के अलावा निवेश में उनके हिस्से को सामने रखेंगे। आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श करने के बाद इस योजना का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा किंतु इस योजना की रूप-रेखा इस प्रकार तैयार की जाएगी कि इससे ग्रामीण विकास के समग्र उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। निजी क्षेत्र को आकृष्ट करने के लिए, ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जो सुस्पष्ट जोखिमों वाली 'परियोजना आधारित' योजना होगी, इसमें जोखिम को कम करने वाले निर्धारित उपाय होंगे और जोखिम का वहन प्रायोजक प्राधिकरण (ग्राम पंचायत), भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी भागीदार करेंगे।

3.2 प्रायोगिक परीक्षण और इसका विस्तार: प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए, इस योजना की मुख्य विशेषताओं का उस आधार पर परीक्षण किया जाएगा जो भविष्य में इन परीक्षणों को बढ़ाने की सीख देंगे। इसके अलावा, समस्त प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी ताकि वे सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू कर सकें और ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहर्यता का प्रायोगिक परीक्षण करने में मदद कर सकें। इन प्रायोगिक परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर, योजना को उचित रूप से संशोधित किया जाएगा ताकि भविष्य में इसका विस्तार किया जा सके।

2 नियोजन और कार्यान्वयन

4. नियोजन

पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए चुने गए निजी भागीदार लगभग 25000–40000 की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत/भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ी ग्राम पंचायतों के समूह का निर्धारण करेंगे। यद्यपि, समूह परियोजना क्षेत्र होगा, फिर भी समूह के भीतर प्रत्येक पंचायत को कवर करने के लिए उप-परियोजनाएं हो सकती हैं। वैकल्पिक तौर पर, एक बड़ी पंचायत परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए निजी तौर पर महत्वपूर्ण जन-संसाधन उपलब्ध करा सकती है। प्रायोगिक चरण में, निजी भागीदार की क्षेत्र के प्रति अच्छी जानकारी या निचले स्तर पर काम काज के विगत अनुभव के आधार पर उसे पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत (तों) का निर्धारण एवं चयन करने की छूट दी जाती है। इस निर्धारित पुरा क्षेत्र में, निजी भागीदार बेस लाइन अध्ययन करने के पश्चात आर्थिक क्रियाकलाप के साथ-साथ चुनिंदा आधारभूत सुविधाओं का विकास/पुनः विकास करने की योजना बनाएंगे।

5. निर्धारित आधारभूत और शहरी सुविधाएं

5.1 पुरा के अंतर्गत दी जाने वाली आधारभूत एवं शहरी सुविधाओं तथा प्रस्तावित आर्थिक क्रियाकलापों की सूची निम्नानुसार हैः -

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं/क्रियाकलाप (अनिवार्य)	(ख) अन्य मंत्रालयों की योजनाओं (गैर-ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं) के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं	(ग) एड – ऑन परियोजनाएं (राजस्व आय, जन केंद्रित परियोजनाएं) – विस्तृत सूची
1. जल और सिवरेज 2. ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रख-रखाव 3. नालियां 4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 5. कौशल विकास 6. आर्थिक क्रियाकलापों का विकास	7. ग्रामीण स्ट्रीट लाइटिंग 8. दूरभाष 9. बिजली, आदि	10. ग्रामीण पर्यटन 11. समेकित ग्रामीण केंद्र, ग्रामीण बाजार 12. कृषि - साझा सेवा केंद्र, वेयरहाउसिंग 13. कोई अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित परियोजना

(क) **ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं:** निजी भागीदार ग्रामीण विकास मंत्रालय की चल रही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत जल और सीवरेज, ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रखरखाव, जल-निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास और आर्थिक क्रियाकलापों का विकास जैसी सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगी: स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) आदि। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर इन योजनाओं का ताल-मेल किया जाएगा जिसके जरिए इन योजनाओं के अंतर्गत दी गई निधियां निजी भागीदारों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख) **गैर-ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं:** पुरा में अन्य मंत्रालयों की वे योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं जो कि "तैयार" रूप में उपलब्ध हैं क्योंकि परियोजना के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा (शहरी सुविधा) के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (ग्रामीण स्ट्रीट लाइटिंग, बिजली के लिए) तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (टेलीकॉम सेवाओं के लिए) आदि ग्रामीण विकास मंत्रालय के दायरे में नहीं आते हैं। प्राइवेट डेवलपर सम्बद्ध गैर-ग्रामीण विकास मंत्रालयों की ऐसी योजनाओं के तहत सहायता मांगेगे और अभिज्ञात शहरी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से पुरा में इसका उपयोग करेंगे। यद्यपि पैराग्राफ 5.1 में दी गई सूची अपने आप में स्पष्ट है, फिर भी निजी भागीदार को स्थानीय स्थितियों के हिसाब से ऐसी कई योजनाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) **एड ऑन परियोजनाएं:** यह आवश्यक हो जाता है कि प्राइवेट डेवेल्पर्स मुहैया कराई जाने वाली शहरी सुविधाओं की सूची में एंड ऑन किस्म की "वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य" और जन केन्द्रित परियोजनाओं की एक सूची शामिल करें। परियोजना के सभी अवयवों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई एड ऑन परियोजनाएं निष्पाद-गारंटी के उद्देश्य से आवश्यक/अनिवार्य हो जाती हैं। इस प्रकार की एड ऑन परियोजनाओं से आर्थिक और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे और इन्हें अधिमानतः ग्राम पंचायत की सहभागिता से तैयार जाएगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इनको भी शामिल किया जाएगा : -

1) ग्राम पर्यटन परियोजनाएं: ये स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराएंगी और स्थानीय कामगारों, काम करने वाले कलाकारों इत्यादि को आय के अवसर मुहैया कराएंगी।
2) अच्छे कौशल विकास वाले संस्थान की स्थापना करना - इसको परियोजना में शुरू की गई आर्थिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाएगा।
3) समेकित ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्र: इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्यिक स्तर तक विकसित करने में सहायता मिलेगी।

यह आशा की जाती है कि इस परियोजना में ऐसी कम से कम एक गतिविधि को शामिल किया जाएगा।

6. बिजनेस मॉडल

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सृजन एवं रखरखाव के लिए निजी पूंजी एवं प्रबंधकीय सुविज्ञता के साथ सार्वजनिक निधियों की व्यवस्था करना पुरा योजना का मूल उद्देश्य है।

6.1 वित्तपोषण: पुरा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण चार स्त्रोतों से मिल सकता है: ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं, गैर-ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं, निजी वित्तपोषण और पुरा के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान।

(क) **ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं:** चूंकि पुरा योजना में परिसंपत्तियों के दीर्घावधि रखरखाव के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल और स्थायी फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है, इसलिए अधिकांश पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सरकारी योजनाओं से मिलने चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सुपुर्दगी में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं अर्थात स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान इत्यादि को पुरा परियोजनाओं के कैपेक्स प्रावधान में शामिल किया जाएगा। केवल सामुदायिक विकास योजनाओं को साधारण रूप से शामिल किया जाएगा क्योंकि निजी भागीदारों को वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं का प्रबंधन करने में कठिनाई होगी। ऐसी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में बहुप्रयोज्य प्रावधान किए जाएंगे ताकि इन्हें पंचायतों या सरकारी विभागों के अलावा निजी भागीदार के माध्यम से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी जा सके। पंचायत या सरकारी विभाग के लिए ग्राही के रूप में, डेवलपर निर्धारित योजनाओं के जरिए निधियां प्राप्त करेंगे। कार्यान्वयन संबंधित योजना के दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा। तथापि, सेवा मानक जहां तक संभव हो सके शहरी क्षेत्रों के लिए

निर्धारित सेवा मानकों के समान रखा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ तालमेल के विशिष्ट मामले में, एन आर ई जी एस के अंतर्गत केवल ऐसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनकी महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी दी गई है। एन आर ई जी एस के अंतर्गत उन क्रियाकलापों के लिए शारीरिक और अकुशल कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे, जो पुरा परियोजनाओं और महात्मा गांधी नरेगा, 2005 में क्रियाकलापों की अनुमेय सूची के लिए एक समान हों। ग्राम पंचायतों से मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के निर्धारित तंत्र के जरिए एन आर ई जी एस निधियों से ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। एन आर ई जी एस के जरिए किए गए ऐसे कार्य पुरा के अंतर्गत परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होंगे।

(ख) गैर-ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं: निजी भागीदार अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के अंतर्गत, ऐसी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कतिपय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। वैकल्पिक तौर पर, संबंधित मंत्रालय डी आर डी ए के जरिए इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां उपलब्ध करा सकता है।

(ग) निजी वित्तपोषण: यह संभव है कि अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं का वित्त पोषण पूरी तरह सरकारी योजनाओं द्वारा न हो सके जिसमें डेवलपर ऐसी आधारभूत सुविधाओं के कैंपेक्स का वित्त पोषण करने और संचालन एवं रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिए स्वयं कुछ पूंजी का निवेश करेंगे। आधारभूत परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव तथा सेवाओं की व्यवस्था 10 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए होगी। वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एड-ऑन परियोजनाओं का वित्त पोषण पूरी तरह निजी वित्त पोषण के जरिए किया जाएगा।

(घ) पुरा के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान: प्राइवेट डेवलपर को इस बात की छूट दी जाती है कि वह पंचायत के परामर्श से एड-ऑन परियोजनाओं के रूप में उपयुक्त राजस्व सृजन/स्व-स्थायी परियोजनाओं का चयन करें और ऐसी संभावना है कि इससे आधारभूत सुविधाओं की रखरखाव लागत में आंशिक रूप से आर्थिक सहायता मिलेगी। चूंकि डेवलपर के लिए आमदनी, केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत सृजित किए जा सकने वाले राजस्व से प्राप्त होगी और राजस्व आधार कमजोर पड़ता जाएगा, इसलिए पुरा योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की गई है। ऐसे संभावित अंतर, जो पुरा योजना में अभी तक विद्यमान रह सकते हैं, को पुरा योजना के पूंजीगत अनुदान से पूरा किया जाएगा जिसके तहत परियोजना लागत की 35% तक की राशि प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

6.2 परियोजना लागत: पूंजीगत अनुदान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ परियोजना लागत में (i) कैपेक्स (ii) अनिवार्य आधारभूत सुविधा (शहरी सुविधाएं) का संचालन व्यय (ओपेक्स) एवं 10 वर्षों की अवधि के लिए एड-ऑन आधारभूत सुविधा, तथा (iii) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए निवेश पर होनी वाली आमदनी में कमी शामिल होंगी। प्रत्येक पुरा परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी।

6.3 शहरी सुविधाओं की निदर्शी सूची और उनके वित्त-पोषण स्रोतों तथा कार्यान्वयन तरीकों का ब्यौरा इस प्रकार है : -

आधारभूत सुविधा का प्रकार	वित्तपोषण	कार्यान्वयन एजेंसी
पुरा क्षेत्र में मुख्य सुविधाएं/बाहरी आधारभूत सुविधाओं संबंधी लिंकेज (गांव तक सड़क, बिजली, प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति आदि)	भारत सरकार/राज्य सरकार की विद्यमान योजनाओं के तहत	भारत सरकार/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियां
शहरी सुविधाएं : क. ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं (पेयजल आपूर्ति एवं सीवेज, गांव की गलियों का निर्माण एवं उनका रख-रखाव, नालियां, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, कौशल विकास तथा आर्थिक कार्यकलापों का विकास)	ग्रामीण विकास मंत्रालय की विद्यमान योजनाएं तथा पुरा के अंतर्गत प्राइवेट डेवलपर द्वारा वित्तपोषण	पुरा के अंतर्गत प्राइवेट डेवलपर - बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो (बी.ओ.टी.) पद्धति
ख. अन्य मंत्रालयों की योजनाएं (दूरसंचार, स्ट्रीट लाइटिंग, बिजली आदि जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से बाहर है)	ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों की विद्यमान योजनाएं और पुरा के तहत निजी क्षेत्र डेवलपर	पुरा के तहत प्राइवेट डेवलपर – बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरित करो पद्धति
अन्य अतिरिक्त (ऐड ऑन) सुविधाएं : (ग्राम पर्यटन, ग्रामीण विपणन केंद्र, कृषि सामान्य सेवा केंद्र, ग्राम उद्योगों के लिए औद्योगिक एस्टेट, तकनीकी/ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि) – निदर्शी सूची	प्राइवेट डेवलपर	प्राइवेट डेवलपर

7. भूमि

पुरा परियोजनाओं का एक आवश्यक घटक भूमि की उपलब्धता है। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि, ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि अतिरिक्त सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायत/ राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो संबंधित राजस्व, आपसी सहमति से ग्राम पंचायत एवं प्राइवेट डेवलपर के बीच उपयुक्त अनुपात में विभक्त किया जाएगा और इन सुविधाओं को रियायती अवधि समाप्त होने पर ग्राम पंचायत/ राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा। ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उसे प्राइवेट डेवलपर द्वारा ओपन मार्केट से खरीदा जाएगा, परंतु उसकी लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। चूंकि पुरा के तहत जीविकोपार्जन अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है, इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को अनुमोदित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरा के लिए ग्राम पंचायत/राज्य सरकार से साझी भूमि के अंतरण से स्थानीय निर्धनों की जीविकोपार्जन सुरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, पुरा ग्रामीण क्षेत्रों में भावी विकास केंद्र में जीविकोपार्जन एवं शहरी सुविधाओं के सृजन संबंधी प्रक्रिया को आरंभ करने का प्रयास कर रहा है। अतः पुरा परियोजना का परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के आस-पास चल रही/प्रस्तावित आर्थिक परियोजना में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

8. प्राइवेट डेवलपर का चयन

8.1 बोली प्रक्रिया

(क) प्राइवेट डेवलपर का चयन, खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। खुले विज्ञापन के माध्यम से आधारभूमि सुविधाओं का विकास करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों 'रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' प्रस्तुत करने को कहा जाएगा (ईओआई की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I के रूप में संलग्न है)। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों के आधार पर उनका चयन किया जाएगा।

(ख) चयनित बोलीदाताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज का मसौदा जारी किया जाएगा, जिन्हें बोली को अंतिम रूप देने से पहले परामर्श हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तत्पश्चात, अंतिम आरएफपी दस्तावेज (दस्तावेज की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं) जारी किया जाएगा। चयनित बोलीदाता अपने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिनमें संकल्पना योजनाएं (मुख्य विशेषताएं अनुबंध-III के रूप में संलग्न हैं) एवं संबंधित ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार की सहमति निहित होंगे। बोली दस्तावेजों के एक भाग के रूप में सहमति पत्र प्रदान किया जाएगा।

8.2 प्रस्तावों का मूल्यांकनः ईओआई संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन, ईओआई में निर्धारित पूर्व अर्हता मानदंड के अनुसार किया जाएगा। आरएफपी के प्रत्युत्तर में बोलियां प्रस्तुत करते समय, कोई वित्तीय बोली नहीं होगी। बोलीदाताओं का मूल्यांकन, पूर्व-अनुमोदित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार उनकी तकनीकी क्षमता तथा सौंपे गए कार्यों के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न बोलीदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों/संकल्पना योजनाओं का मूल्यांकन, परियोजना जाँच एवं निगरानी समिति द्वारा और आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित मानदंड के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात, अंतःमंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा डीपीआर तथा पूंजीगत अनुदान को स्वीकृति दी जाएगी तथा विभिन्न समझौते कार्यान्वित किए जाएंगे। प्रायोगिक चरण में, जबकि ग्रामीण विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर बल दिया जाएगा, तथापि, आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना के मामले में डेवलपर के हितों को समायोजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव की समावेशन एवं संतुलित भू-भौतिकीय प्रसार के संदर्भ में जांच की जाएगी।

8.3 स्टेकहोल्डरों के बीच समझौतेः विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका, दायित्व, देयता एवं उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए निम्नलिखित समझौते किए जाएंगे।

(क) **रियायत समझौताः** प्रायोजक प्राधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत (प्रदाता) और रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में प्राइवेट डेवलपर के बीच रियायत संबंधी समझौता (समझौता की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-V के रूप में हैं) किया जाएगा। रियायत समझौते में न्यूनतम सेवा स्तर मानकों, कार्य निष्पादन गारंटी आदि का विवरण होगा। रियायत संबंधी समझौते के फलस्वरूप प्राइवेट डेवलपर प्रदान की गई सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए तर्कसंगत उपयोगकर्ता प्रभार वसूल कर सकेगा। हालांकि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली शहरी सुविधाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभार अनिवार्य नहीं हैं, परंतु यह वांछनीय है कि लाभार्थियों की वहन क्षमता के अनुसार कुछ शुल्क वसूला जाए।

(ख) **राज्य से सहायता संबंधी करारः** केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्राइवेट डेवलपर के बीच राज्य से सहायता संबंधी करार होगा (करार की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-V पर हैं)। राज्य सरकार द्वारा पुरा क्षेत्र में सड़कों, प्रचुर जल एवं विद्युत जैसी मुख्य सुविधाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने संबंधी वचनबद्धता, करार का एक हिस्सा होगी।

8.4 परियोजना समितियां

(क) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में परियोजना जांच एवं निगरानी समिति (पीएसएमसी) गठित की जाएगी जो ईओआई के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों, आरएफपी के संदर्भ में प्रस्तुत संकल्पना योजनाओं सहित प्रस्तावों और प्राइवेट डेवलपरों द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की जांच एवं उनका मूल्यांकन करेगी। पीएसएमसी स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी होगी। पीएसएमसी के निम्नलिखित सदस्य होंगे : -

(i) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग – अध्यक्ष
(ii) आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य
(iii) योजना आयोग का प्रतिनिधि – सदस्य
(iv) पेयजल आपूर्ति विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य
(v) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य
(vi) विद्युत मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य
(vii) पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य
(viii) संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
(ix) निदेशक (पुरा) – सदस्य संयोजक

समिति किसी अन्य अधिकारी/व्यक्ति को सहायता के लिए सहयोजित कर सकती है।

(ख) परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालयीय अधिकार – प्राप्त समिति गठित की गई है। यह समिति परियोजना के विभिन्न चरणों को अनुमोदन प्रदान करेगी और सभी संबंधित निर्णय लेगी :

(i) सचिव, ग्रामीण विकास – अध्यक्ष
(ii) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(iii) सचिव, योजना आयोग/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(iv) सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(v) सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(vi) सचिव, विद्युत मंत्रालय/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(vii) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय/अथवा कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का प्रतिनिधि – सदस्य
(viii) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय – सदस्य
(ix) संबंधित राज्य सरकार के ग्रामीण विकास प्रधान सचिव/ सचिव – सदस्य
(x) संयुक्त सचिव (पुरा), ग्रामीण वकास विभाग – सदस्य संयोजक

अधिकार - प्राप्त समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।

9. कार्यान्वयन

रियायती अवधि के दौरान कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई योजना का ब्यौरा डीपीआर में दिया जाएगा। प्राइवेट डेवलपर पुरा की विभिन्न उप-परियोजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन कार्रवाई योजना तैयार करेगा, जिसकी निर्माण अवधि अधिकतम तीन वर्ष तथा प्रचालन एवं रख-रखाव अवधि, वाणिज्यिक प्रचालन या निर्माण पूरा होने की तारीख से दस वर्ष होगी। प्राइवेट डेवलपर द्वारा कार्य निष्पादन की उपयुक्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना की कार्य-अवधि के दौरान कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं उसकी निगरानी के लिए ग्राम पंचायत के पुरा समूह में एक स्वतंत्र इंजीनियर की व्यवस्था की जाएगी।

10. पुरा परियोजना चक्र का फ्लो चार्ट

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करना

▼

ईओआई का प्रत्युत्तर

▼

इच्छुक प्राइवेट डेवलपर का चयन

▼

चयनित प्राइवेट डेवलपरों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज का मसौदा जारी करना

▼

मसौदा आर एफ पी तथा रियायत करार पर सुझाव प्राप्त करने के लिए चुनिंदा बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक

▶

चुनिंदा प्राइवेट डेवलपरों अंतिम प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज जारी करना

▼

इच्छुक बोलीदाताओं से संकल्पना योजना (ग्राम पंचायत तथा राज्य सरकार की सहमति सहित) सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना

▼

परियोजना जांच एवं निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन और अंतःमंत्रालयीय अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति

▼

डीपीआर तैयार करने के लिए योग्य बोलीदाताओं को "लेटर ऑफ अवार्ड" जारी करना

▼

प्राइवेट डेवलपरों द्वारा डीपीआर तैयार करना

▼

परियोजना जांच एवं निगरानी समिति द्वारा डीपीआर का मूल्यांकन और पूंजीगत अनुदान के अनुमोदन सहित अंतःमंत्रालयीय अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृति

▼

प्राइवेट डेवलपरों तथा सहयोगी ग्राम पंचायतों के बीच रियायत संबंधी करारों और राज्य सहायता करार पर हस्ताक्षर

▼

प्राइवेट डेवलपर द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन

▼

प्राइवेट डेवलपर द्वारा परियोजना सुविधाओं का प्रचालन तथा रख-रखाव

▼

परियोजना जांच एवं निगरानी समिति द्वारा पुरा परियोजनाओं की निगरानी एवं प्रभाव संबंधी मूल्यांकन

▼

रियायत अवधि के अंत में परियोजना सुविधाएं ग्राम पंचायतों को सौंपना

11. परियोजना प्रबंधन और नियंत्रण

11.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुरा प्रभाग में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन दल परियोजना जांच एवं निगरानी समिति के मार्गदर्शन में योजना के कार्यान्वयन संबंधी सभी कार्यकलापों की देखरेख करेगा तथा समन्वय कार्य करेगा। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) नीति-निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय में पीपीपी एकक को सांस्थानिक रूप देने, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा निर्धारित ग्राम पंचायतों के क्षमता निर्माण और प्रायोगिक परियोजनाएं तैयार करने हेतु एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता कर रहा है।

11.2 पुरा योजना के समय पर मूल्यांकन तथा प्रभाव संबंधी अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रबंधकीय नियंत्रण, रिपोर्टिंग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पद्धतियों की व्यवस्था की जाएगी।

11.3 पुरा योजना की सामान्य स्वीकार्यता को बढ़ाने तथा इसमें निहित परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्राम पंचायतों, डीआरडी एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के साथ-साथ एडीबीटीए कार्यक्रम के भाग के रूप में एक पहुँच एवं संचार योजना कार्यान्वित की जाएगी।

3 निधियों की रिलीज

12. पूंजीगत अनुदान तथा रिलीज का आकलन

यद्यपि पूंजीगत अनुदान परियोजना लागत का अधिकतम 35% होगा, तथापि, वास्तविक रूप से स्वीकार्य पूंजीगत अनुदान प्रत्येक परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए अनुमोदित कुल पूंजीगत अनुदान की पूर्ति 248 करोड़ रू. के योजनागत परिव्यय से की जाएगी। इस प्रायोगिक चरण के दौरान पूंजीगत अनुदान का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक पुरा परियोजना की लागत अधिकतम 120 करोड़ रू. होगी। प्रत्येक प्रायोगिक परियोजना के लिए आवश्यक पूंजीगत अनुदान की वास्तविक राशि का निर्धारण करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) आधार होगी। अंतिम रूप से लागत एवं पूंजीगत अनुदान का अनुमोदन, इस प्रयोजन हेतु गठित एवं अंतःमंत्रालयीय अधिकार-प्राप्त समिति करेगी। अनुदान निम्नानुसार चार किस्तों में रिलीज किया जाएगा (निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति से सम्बद्ध)और यह माना जाएगा कि रियायत अवधि 10 वर्ष और निर्माण चरण की अवधि तीन वर्ष होगी :

(क) पहली किस्त (25%)– रियायत संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होने पर।

(ख) दूसरी किस्त (25%)– रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1 वर्ष पूरा होने पर।

(ग) तीसरी किस्त (25%) – रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दो वर्ष पूरा होने पर।

(घ) चौथी किस्त (25%) – डीपीआर में यथा अनुमोदित उप-परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने पर।

तथापि, उन मामलों जहां लक्ष्य उपर्युक्त समय-सीमा से पहले प्राप्त कर लिए गए हों, वहां किस्तों की रिलीज को तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

13. निधियों की उपलब्धता

13.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय पूंजीगत अनुदान की स्वीकृत किस्त डीआरडी एजेंसी को रिलीज करेगा जिसे निलंबलेख खाते में रखा जाएगा। इसे स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन और संबंधित ग्राम पंचायत (पंचायतों) की सहमति के बाद अनुमोदित लक्ष्यों के समयबद्ध रूप से पूरा होने पर प्राइवेट डेवलपर को रिलीज किया जाएगा।

13.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत निधियों को स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन एवं संबंधित ग्राम पंचायत (पंचायतों) की सहमति के बाद

डीआरडीए द्वारा संचालित समान निलंबलेख खाते में रखे जाने के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर को रिलीज किया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य मंत्रालय पुरा परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय से इतर परियोजनाओं के लिए उन योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध करा सकते हैं।

13.3 ग्राम पंचायत/पंचायतें स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणन के एक सप्ताह में अपनी सहमति प्रदान करेंगी, ऐसा न किए जाने पर उन्हें उसका कारण बताना होगा। तत्पश्चात मामला, जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो मामले की जांच करके एक सप्ताह में अपना निर्णय देंगे।

13.4 परियोजना निदेशक, डीआरडीए संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार डीआरडीए द्वारा निधियों की रिलीज के लिए उत्तरदायी होगा।

13.5 प्राइवेट डेवलपर पुरा परियोजना के संदर्भ में सभी प्राप्तियों तथा भुगतान के लिए एक परियोजना निलंबलेख खाते का रख-रखाव करेगा।

14. स्वतंत्र इंजीनियर पर आने वाली लागत

स्वतंत्र इंजीनियर के शुल्क का भुगतान, डीआरडीए के माध्यम से होगा, परंतु इसे पूंजीगत अनुदान का निर्धारण करने हेतु परियोजना लागत संबंधी अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा।

4 विविध

15. लेखा-परीक्षा

लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा प्रकिया और मानदंड में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।

16. शिकायत निवारण और विवाद समाधान

स्थानीय स्तर की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से पुरा परियोजना को कार्यान्वित किए जाने वाले जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलक्टर की अध्यक्षता में एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र बनाया जायेगा। इसी तरह, जिन शिकायतों के निवारण में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दखल की आवश्यता हो, उन शिकायतों के निवारण के लिए भी संयुक्त सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में शिकायत निवारण तंत्र बनाया जायेगा।

17. निर्णय

जहां कहीं अपेक्षित हो, शिकायतों तथा विवादों के संबंध में निर्णय करने के लिए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्राधिकारी है।

18. जोखिम प्रबंधन

पुरा प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े मुख्य जोखिमों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत अथवा प्राइवेट डेवलपर्स शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जोखिम को कम करने का काम कानूनी रूप से निर्धारित रियायत तथा राज्य सहायता करार द्वारा किया जाएगा। यदि किसी स्टेकहोल्डर से चूक हो जाती है, तो प्रभावित स्टेकहोल्डर को संबद्ध करार के उपबंधों के अनुसार समुचित मुआवजा दिया जाएगा।

अनुबंध

अनुबंध-I – रुचि की अभिव्यक्ति की मुख्य विशेषताएं

1. नीचे दी गई अर्हता को पूरा करने वाली अकेली अथवा समूह के साथ में विकास/निर्माण तथा समुदाय उन्मुख आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजना के प्रबंधन कार्य में अनुभव रखने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी :

   (i) कुल मूल्य लगभग 25 करोड़ रु. हो।

   (ii) कम से कम 50 करोड़ रु. के संचयी मूल्य वाली आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजनाएं बनाने का अनुभव हो।

2. समुदाय उन्मुख आधारभूत सुविधाओं में जल आपूर्ति तथा मलजल निकासी, कृषि व्यवसाय सुविधा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक सड़क, बिजली वितरण, सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि शामिल हैं।

3. आवेदकों को ऊपर उल्लिखित अर्हता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उसके साथ संगठन की परिचय-पुस्तिका तथा लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (विगत तीन वित्तीय वर्षों का) संलग्न करना होगा।

अनुबंध-II – प्रस्ताव दस्तावेज के लिए अनुरोध की मुख्य विशेषताएं

रुचि की अभिव्यक्ति स्तर पर चयनित आवेदकों को प्रस्ताव दस्तावेज अनुरोध जारी किया जाएगा। प्रस्ताव दस्तावेज के लिए अनुरोध में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं सन्निहित होंगी:

1. **कार्य-क्षेत्र:** प्राइवेट डेवलपर्स को शहरी सुविधाएं निर्मित, विकसित अथवा पुनः विकसित, जो भी लागू हो, संचालित तथा अनुरक्षण करना और पूरी रियायत अवधि के दौरान सुविधाएं बढ़ाना तथा प्रत्येक सुविधाओं/साधनों के लिए निर्धारित निष्पादन मानकों का प्रदर्शन करना होगा।

2. बोलीदाता द्वारा दिखाया जाने वाला अनुभवः पुरा परियोजना शुरु करने के इच्छुक बोलीदाता को निम्नलिखित अनुभव दिखाना होगाः

(i) विगत में आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजनाएं शुरु की हों, प्राथमिक रूप से पीपीपी मोड पर।

(ii) स्थायी परियोजना बनाने के लिए संबंधित स्टेकहोल्डरों को शामिल करने की योग्यता तथा संसाधन होने चाहिए।

(iii) परियोजना के लिए पूंजीगत तथा परिचालन व्यय (जैसी आवश्यकता हो) को पूरा करने के लिए वित्त बढ़ाने की क्षमता हो।

3. हिस्सा लेने वाली संस्था की परिभाषा तथा संरचनाः बोलीदाता निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अकेली अथवा सामूहिक संस्था के रूप में आवेदन कर सकता हैः

(i) अकेली संस्था कंपनी होगी तथा उसे चयन मानदण्ड को स्वयं पूरा करना होगा (परिभाषित सहयोगियों के साथ)।

(ii) समूह में अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं तथा मुख्य सदस्य अनिवार्य रूप से एक कंपनी होगी। समूह के सभी सदस्यों के अनुभव पर विचार तकनीकी पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तथापि, वित्तीय पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को समूह के "प्रमुख सदस्य" द्वारा पूरा किया जाएगा। समूह के अन्य सदस्य किसी कानूनी संरचना जैसे – व्यवसाय संघ, कंपनी, निगम, सोसाइटी, न्यास, सरकारी, राज्य अथवा राज्य की एजेंसी हो सकती है।

4. स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठनः अकेली संस्था परियोजना को शुरु करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल[1] गठित कर सकती है। तथापि, स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करना सामूहिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगा।

5. स्पेशल पर्पज व्हीकल के गठन की शर्तेंः परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करने वाली अकेली संस्था के पास रियायत अवधि के दौरान स्पेशल पर्पज व्हीकल में कम-से-कम 51% इक्विटी शेयर होगा। सामूहिक संस्था के मामले मेंः

(i) प्रमुख सदस्य के पास रियायत अवधि के दौरान स्पेशल पर्पज व्हीकल में हर समय खरीदे गए तथा भुगतान किए गए पूंजीगत इक्विटी शेयर का कम से कम 51% हिस्सा हो।

(ii) अर्हता के प्रयोजन के लिए जिन अन्य सदस्यों की तकनीकि क्षमता का उपयोग किया जाता है,उनके पास रियायत करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल की खरीदी गई और भुगतान की गई इक्विटी का कम से कम 11% हिस्सा हो।

6. बोलीदाता की क्षमता का मूल्यांकन करने का मानदण्डः पुरा योजना को शुरु करने के लिए बोलीदाता की क्षमता का मूल्यांकन निम्नलिखित दो मानदण्डों के माध्यम से किया जाएगाः-

(i) तकनीकी क्षमता

(ii) वित्तीय क्षमता

(i) **तकनीकी क्षमताः** तकनीकी क्षमता संबंधी आवश्यकताएं नियमानुसार निधारित की गई हैं :

कम से कम 50 करोड़ रु. की मुख्य आधारभूत सुविधा संबंधी परियोजनाओं का विकास/निर्माण में परियोजना अनुभव/ आधारभूत सुविधाओं में सिंचाई, सड़क, जल आपूर्ति, मलजल, निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इस अनुभव के आधार पर बोलीदाताओं को अंक दिए जाएंगे तथा उनका चयन किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय क्षमताः** बोलीदाता को न्यूनतम 25 करोड़ रु. मूल्य की वित्तीय क्षमता दिखानी होगी। इसके लिए किसी तरह का अंक दिए जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

7. बोलीदाताओं का मूल्यांकन तथा चयनः बोलीदाताओं का मूल्याकन उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें आर.एफ.पी. दस्तावेज में दी गई मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाविधि के अनुसार अंक दिए जाएंगे। बोलीदाताओं को उनके अनुभव संबंधी अंक के आधार पर रैंक दिया जाएगा और उनका चयन किया जाएगा। चयनित प्राइवेट डेवलपर्स को "पंचाट-पत्र" जारी किया जाएगा।

[1] कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् गठित

अनुबंध-III – अवधारणा योजना की मुख्य विशेषताएं

आरएफपी के जवाब के हिस्से के रूप में, बोलीदाता अवधारणा योजना तथा निर्धारित ग्राम पंचायत और संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्रस्तुत करेगा। अवधारणा योजना में परियोजना क्षेत्र का ब्यौरा, कार्यान्वयन दृष्टिकोण तथा कार्यनीति, परियोजना घटक इत्यादि देना होगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा योजना की समीक्षा पुरा योजना के मानदंडों तथा उद्देश्यों का अनुपालन किए जाने की जांच करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय की परियोजना जांच तथा निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। अवधारणा योजना में दर्शाई जाने वाली विषय-वस्तु निम्नानुसार है :-

1. समूह का ब्यौरा

2. अवधारणा का वर्णन तथा प्रदर्शन करना ताकि यह पता चल सके कि इसमें "पुरा" के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है :

(i) शहरी सुविधाओं तथा बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त वर्णन।

3. आधारभूत सुविधा संबंधी सुधारों का निर्धारण तथा प्रस्ताव करना

(i) पूंजीगत तथा परिचालन एवं अनुरक्षण लागत

4. कार्यान्वयन योजना

(i) भागीदार ग्राम पंचायतों तथा अन्य का सैद्धांतिक अनुमोदन

(ii) संसाधन तथा उपयोग

(iii) समय–सीमा

(iv) मुख्य पहल तथा योजना

5. व्यवहार्यता विश्लेषण

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की उपलब्ध योजनाओं का विधिवत निर्धारण करने वाली वित्त-पोषण योजना।

6. अगला चरण

(i) विकास अध्ययन – क्षेत्र/समय/लागत

(ii) मुख्य जोखिम तथा शमन संबंधी उपाय

अनुबंध-IV – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की मुख्य विशेषताएं

आरएफपी स्तर के माध्यम से चुने गए बोलीदाता पहले प्रस्तुत की गई अवधारणा योजना के आधार पर पंचायत के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "पंचाट-पत्र" जारी किए जाने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। उसकी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समीक्षा तथा अनुमोदन परिशोधन करके अथवा बिना परिशोधन किए किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कार्यान्वयन योजना सहित मौजूदा आधारभूत सुविधा की स्थिति, अपेक्षित आधारभूत सुविधा संबंधी सुधार तथा इसका विस्तृत लागत अनुमान से संबंधित मुख्य जानकारी देनी होगी। सेवा सुपुर्दगी स्तर पर बदलाव लाने के लिए विभिन्न शहरी सुविधाओं तथा तंत्र के सेवा के स्तर संबंधी मानकों के आवधिक मूल्यांकन को भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दर्शाई जाने वाली विषय-वस्तु निम्नानुसार है :

1. परियोजना का वर्णन

(i) विचार

(ii) समूह का ब्यौरा तथा वर्णन

(iii) शहरी सुविधाएं तथा बढ़ाई जाने वाली सुविधाएं

(iv) समूह में चल रही ग्रामीण विकास मंत्रालय की तथा अन्य की योजनाएं

2. संचालन फ्रेमवर्क

(i) पुरा योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

(ii) मांग मूल्यांकन – आकार तथा कवरेज के कारण सुविधाओं की भावी आवश्यकता

(iii) शहरी सुविधाओं तथा बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं की मुख्य जानकारी (स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाए तथा ग्राम पंचायत की सहमति हो)

(iv) सर्वेक्षण उपयोग तथा सर्वेक्षण करने की इच्छा, यदि उपयुक्त हो

(v) सुपुर्दगी मानकों में बदलाव करने के लिए सेवा के स्तर संबंधी मानकों और तंत्र की आवधिक समीक्षा की प्रक्रियाविधि

3. मात्रा, लागत अनुमान तथा वित्त-पोषण योजना को दर्शाने वाला बिल

4. व्यवहार्यता विश्लेषण तथा अपेक्षित पूंजीगत अनुदान राशि

5. कार्यान्वयन की समय-सीमा

परियोजना मंजूरी तथा निगरानी समिति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सटीकता तथा शुद्धता का पता लगाने के लिए इसकी जांच करेगी। यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय परियोजना को छोड़ने का निर्णय लेता है, तो उस पर आरएफपी दस्तावेज के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध-V – रियायत तथा राज्य सहायता करार की मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद प्राइवेट डेवलपर संबंधित पक्षकारों के साथ रियायत करार तथा सहायता करार संपन्न करेगा। रियायत करार में परिभाषाओं, शर्तों, पूर्व-निर्णयों, अभ्यावेदन और अनुज्ञप्तियों, अपरिहार्य घटना, समनुदेशन और प्रभारों, दायित्वों और क्षतिपूर्ति, विवाद संकल्प, शासकीय विधि और अधिकारिता, रूपभेद, अधित्यजन, संपूर्ण करार, विच्छेदनीयता, तृतीय पक्षकारों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशनों, सूचनाओं, भाषा, प्रतिलेखों, आदि से संबद्ध मानक खण्ड निहित होंगे। कार्य-निष्पादन दायित्वों, चूक के मुख्य मामले तथा भुगतान की वसूली से संबद्ध उपबंधों का नीचे वर्णन किया गया है :

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य दायित्व

(i) पुरा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राइवेट डेवलपर का चयन करना

(ii) पूंजीगत अनुदान का समय पर भुगतान करना

(iii) ग्रामीण विकास मंत्रालय की चल रही अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण उपलब्ध कराना

(iv) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए परियोजना जांच तथा निगरानी समिति गठित करना

(v) संपूर्ण रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राप्तकर्ता के कार्यान्वयन तथा कार्य-निष्पादन संबंधी दायित्वों की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करना। स्वतंत्र अभियंता इस तरह की परियोजनाओं की जानकारी रखने वाले व्यावसायिक संघ से होगा।

2. राज्य सरकारों के मुख्य दायित्व

(i) राज्य तथा रियायत प्राप्तकर्ता के बीच संपन्न राज्य सरकार करार के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना

(ii) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकरणों का आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने में मदद करना

(iii) रियायत करार के तहत ग्राम पंचायतों को आवश्यक सहायता देना ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

(iv) पुरा क्षेत्र में निर्धारित समय-सीमा के अंदर सड़क, भारी मात्रा में जल की आपूर्ति तथा बिजली की आपूर्ति जैसे बाहरी आधारभूत सुविधा संपर्क उपलब्ध कराना।

3. प्राइवेट डेवलपर के मुख्य दायित्व

(i) शहरी सुविधाओं तथा बढ़ाई जाने वाली सुविधाओं का डिजाइन तैयार करना, प्रबंध करना, वित्तपोषण करना, खरीद करना, निर्माण करना, पुनःस्थापित/विकसित करना (जो भी लागू हो) तथा बाद में उनका परिचालन तथा अनुरक्षण करना।

(ii) केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के लागू होने वाले नियमों/कानूनों के अनुसार विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं के कार्य-निष्पादन मानकों का अनुपालन करना। इसके अलावा, प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक स्थायित्व के लिए आवश्यक पुरा योजना के समग्र उद्देश्यों के पूर्णतया अनुरूप हों।

(iii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित शहरी सुविधाएं विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया संबंधी आवश्यक क्रियाकलाप शुरु करना।

(iv) स्वतंत्र अभियंता तथा ग्राम पंचायत को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना ताकि वे करार के तहत अपने कार्यों को निष्पादित करने में समर्थ हो सकें।

4. ग्राम पंचात के मुख्य दायित्व

(i) सहमत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राइवेट डेवलपर को सहमत करना

(ii) रियायत प्राप्तकर्ता को परियोजना स्थल/सुविधाएं सौंपना/उपलब्ध कराना

(iii) परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक स्वीकृति और अनुमोदन उपलब्ध कराना

(iv) वांछित कार्य-निष्पादन मानकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित मुख्य सुविधाओं के प्रावधान में मदद करना। उदाहरण के रूप में – भारी मात्रा में जल आपूर्ति, बिजली, पंचायतों तक पहुंच सड़क इत्यादि।

5. रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा चूक की मुख्य घटना

(i) निर्धारित समय-सीमा में निर्माण/विकास/पुनर्स्थापन क्रिया-कलापों को पूरा न कर पाना

(ii) निर्धारित समयावधि में किसी भी परियोजना लक्ष्य को हासिल न कर पाना

(iii) सुविधाओं से संबंधित मानकों, विनिर्देशनों तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार उनका परिचालन तथा अनुरक्षण न कर पाना

(iv) परियोजना को छोड़ देना।

6. **रियायत प्राप्तकर्ता की चूक के कारण समापन-वसूली का तरीका :** ऊपर उल्लिखित चूक किए जाने पर दोनों करार समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को दिए गए अनुदान को निलम्बनलेख खाता अथवा कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की जब्ती के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आजीविका अवसर और शहरी सुविधाएं मुहैया कराकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिए ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के समूह में) में संभावित विकास केंद्र के चारों ओर सघन क्षेत्र का व्यापक एवं त्वरित विकास।